

11.07.2025:—पत्रावली आज पेशी मे ली गई। प्रार्थी अधिवक्ता अनुपरिथत। प्रार्थी वकील मूल वादपत्र अदम पैरवी / अदम हाजरी खारिज हो गया। मूल वाद पत्र अदम पैरवी / अदम हाजरी होने के कारण प्रार्थना-पत्र मे कोई कार्यवाही शेष नही रह जाती। इसलिए अस्थाई निशेषाज्ञा को वर्तमान स्तर पर निरस्त खारिज किया जाकर उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. मे वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।

Handwritten signature

सहायक कलक्टर
एव उपखण्डाधिकारी
बनुमानगढ़

